दैनिक भास्कर
27-10-2024

विद्यार्थियों को मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधनों के बारे में जानकारी दी

अम्बाला | जीएमएन कॉलेज में लीगल लिटरेसी सेल ने डॉ. सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में मोटर वाहन अधिनियम 2022 पर जागरूकता कार्यक्रम करवाया। मुख्य वक्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के पैरा लीगल वॉलिंटियर बलराम ने मोटर वाहन अधिनियम में हाल ही में हुए संशोधनों की जानकारी दी। उनके व्याख्यान ने छात्रों को सड़क सुरक्षा, कानूनी जिम्मेदारियों और अनुपालन पर इन परिवर्तनों के प्रभावों के बारे में जागरूक किया। प्रो. जसमिता हांडा ने कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया। इससे कार्यक्रमों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ। साथ ही प्रो. रितिका राय ने तकनीकी पहलुओं को सहजता से प्रबंधित किया। लगभग 50 छात्रों ने सत्र में भाग लिया और मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की।